संख्या-96 /23/नौ-9-2023-001-ई-1768727

I/449096/2023

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2023**

विषय- नगरीय निकायों (ULBs) के जल संस्थान के मदों में बकाये विद्युत बिलों के लम्बित भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 1000.00 करोड़ निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8/3944/319(2)/यू0पी0पी0सी0एल0/2021-22, दिनांक- 07.12.2023 एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्र संख्या-1662/मु0अ0(वाणिज्य)/वा-1/रा0-1/एल0बी0-2, दिनांक- 04.12.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त विभाग के अनुदान संख्या-37 के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों के जल संस्थान तथा मार्ग प्रकाश एवं जलकल के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु एक मुश्त समाधान-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 करोड़ के सापेक्ष नगरीय निकायों (ULBs) के जल संस्थान के मदों में बकाये विद्युत बिलों के लम्बित भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 1000.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) उक्त धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 को अंतरित की जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग नगरीय निकायों (ULBs) के जल संस्थान के मदों में बकाये विद्युत बिलों के लम्बित भुगतान हेतु किया जायेगा।

(3) उक्त भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि लम्बित धनराशि के बिलों का सत्यापन कर लिया गया है।

(4) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित, संहत सूचना शासन के वित्त विभाग तथा नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

A.K. SCM Mangal Go

(9) सेंटेज चार्जेज , निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला **व्यय रुपये 1000.00 करोड़ (रुपये एक हजार करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808001600 प्रदेश के नगरीय निकायों के जल संस्थान तथा मार्ग प्रकाश एवं जलकल के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु एकमुश्त समाधान मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **यू0ओ0 संख्या: E-9-377-X-2023-24, दिनांक- 14 दिसम्बर, 2023** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by
(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।
Date: 15-12-2023 15:04:43
Reason: Approved

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव।**</u>

<u>**प्रतिलिपि**</u>-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय,** उ.प्र. प्रयागराज।
2. **महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय,** उ.प्र. प्रयागराज।
3. **संबंधित मण्डलायुक्त,** उ0प्र0।
4. **अध्यक्ष,** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. **प्रबन्ध निदेशक,** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उ0प्र लखनऊ।
6. **संबंधित जिलाधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,** उ0प्र0।
7. **निदेशक,** सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. **निदेशक,** स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. **निदेशक/अपर निदेशक,** क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
10. **मुख्य कोषाधिकारी,** कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. **सहायक निदेशक(लेखा),** नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
12. **निजी सचिव,** अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,** उ0प्र0 शासन।
14. **गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल,** नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

A.K. SCM Mangal Co